(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4082–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–11–2014 पारित द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार गोविन्दपुरा पत्र कमांक 19/री.अति.तह.गो./2014.

नवकृष्ण एजुकेशन सोसायटी
द्वारा सुरेन्द्र कुमार मित्तल आत्मज एन.के. मित्तल
मिततल कॉलेज, भोपाल
करोंद–भानपुर बायपास रोड भोपाल
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल
2– श्रीमती संगीता साहू पति इन्द्रजीत साहू
निवासी म.न. 36, श्रीनगर कॉलौनी
निशातपुरा, बैरसिया रोड
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री जी.एस. चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री सतीश सिंह अभिभाषक, अनावेदिका कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/1/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार गोविन्दपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त तहसीलदार, गोविन्दपुरा द्वारा आवेदक सोसायटी को दिनांक 14–11–2014 को इस आशय का पत्र लिखा गया कि अनावेदिका कमांक 2 संगीता साहू द्वारा उनके समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम नबीबाग स्थित भूमि सर्वे कमांक 108, 109/4/क/1 रकबा 2.11 एकड़ में से 18 डेसीमल भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिस पर

दिनांक 22–4–2014 को अनावेदिका को कब्जा सौपने हेतु आपको आदेशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा कब्जा नहीं सौपा गया है । अतः अनावेदिका को कब्जा सौपे, साथ ही संहिता की धारा 250 (4) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन भूमि से कब्जा विरत रहने के लिए राशि रूपये 1000/– का बंधपत्र निष्पादित करें । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 26–7–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदिका 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारा उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही वरिष्ठ न्यायालयों में विचाराधीन निगरानी एवं अपील के औचित्य को समाप्त करने के नीयत से की जा रही है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 250 एवं 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा अभिलेख मंगाये जाने हेतु पत्र भेजा गया है और तहसील न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर, आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के मूल आदेश दिनांक 25–3–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 1038–पीबीआर/16 लम्बित है, जिसका निराकरण होना है । ऐसी स्थिति में इस निगरानी का कोई विधिक महत्व नहीं है ।

(2) आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी अपना अवैध कब्जा नहीं हटाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदक को यदि क्षति हो रही थी, तब उन्हें इस न्यायालय में प्रचलित निगरानी में स्थगन प्राप्त करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा मूल आदेश के विरूद्ध स्थगन प्राप्त नहीं कर उक्त आदेश के पालन में की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1038–पीबीआर/16 में दिनांक 12–9–2017 को पारित आदेश के द्वारा तहसील न्यायालय के बेदखली आदेश दिनांक 25–3–14 को निरस्त करने के अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1–2–2016 की पुष्टि की गई है । अतः क्योंकि अब तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 25–3–14 निरस्त हो चुका है । ऐसी स्थिति में उसके कियान्वयन की कार्यवाही भी अवैध हो जाती है । अतः तहसील न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार गोविन्दपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2014 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर